तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
12/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत करने के कारण सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।	

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील प्रार्थी एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम खोलाड़ा पटवार मण्डल कुवानिया की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 35 की खसरा संख्या 113/0.2832, 197/0.1214, 208/0.0728, 230/0.1780, 233/1.0517, 279/0.0971, 280/0.2023, 294/0.0890, 302/0.8333, 304/0.3641, 399/761/0.0405, 408/0.0728 व 725/1.0113 कुल किता 13 कुल रकबा 4.4175 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में [illegible] संख्या 1 को ताफै[illegible] [illegible] की अस्थायी निषे[illegible] [illegible] किया जाता है कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे हस्तक्षेप न करें व ग्राम खोलाड़ा की भूमि खसरा संख्या 787/118 रकबा 0.3236 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:28:10 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर अहकाम हुक्म में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की सम्पूर्ण भूमि पर वादी के हक एवं आधिपत्य मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें, न ऐसा किसी अन्य से करावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:28:10 IST
Reason: SelfAttested